भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1950

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)

कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया संबंधी विनियमों के संबंध में मानदंडों को सख्त करना

1950. श्री के. आर. अर्जुनन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया संबंधी विनियमों के संबंध में मानदंडों को सख्त करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि ऋणदाताओं की समिति और निर्णायक प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु शेयरधारकों की समहति की आवश्यकता नहीं होती है; और
(घ) यहां हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ख): सरकार में ऐसे व्यक्तियों, जो अपने पूर्ववर्तियों के कारण संहिता के तहत प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, को कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोकते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में संशोधन करने हेतु दिनांक 23.11.2017 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 प्रवर्तित किया। यह अध्यादेश दिनांक 18.01.2018 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में भी संशोधन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई समाधान प्रक्रिया ऐसी विश्वसनीय समाधान योजना से की जाए जो कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करती हो।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.10.2017 के परिपत्र सं. आईबीसी/01/2017 द्वारा स्पष्ट किया कि संहिता की धारा 30 और 31 समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान योजना की प्राप्ति के निर्णायक प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन तक के समय की एक विस्तृत कार्यप्रणाली का प्रावधान करती है और इस प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी के हितधारकों/सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

*****